जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 26.10.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री जितेन्द्र कुमार यादव*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 235/2024 धारा 137(2), 87, 61(2), 352, 351(3), 64 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता संजय पुत्र स्वामीनाथ निवासी भीटिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 26.10.2024 को उसके घर ग्राम भीटिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 13.10.2024 को थाना बेलहरकला पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथियों द्वारा सहयोग करने, गाली/धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 दुर्गेश यादव, का0 प्रदीप कुमार पटेल।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 98 वाहनों से 2,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 98 वाहनों से 2,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत 10 अभियुक्ता व 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध अनैतिक देह व्यापार की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान***, तहसीलदार खलीलाबाद ***श्री जनार्दन*** के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*,** प्रभारी निरीक्षक एस0ओ0जी0 *श्री सर्वेश राय* व प्रभारी निरीक्षक महिला थाना ***सुश्री सरोज शर्मा*** द्वारा मुखबीर सूचना पर हैवेन वाडी मसाज सेन्टर मड़या चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 03 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त नाम पता महबूब अली पुत्र वाहिद अंसारी निवासी वार्ड न0- 03 शेरपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व **रोमानिया मसाज सेन्टर नेदुला चौराहा** थाना कोतवाली खलीलाबाद से 07 अभियुक्ता व 06 अभियुक्त नाम पता अजय पुत्र दुखन प्रसाद निवासी असरफाबाद मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद **गोलू कुमार पुत्र कोमल** थाना कोतवाली खलीलाबाद**, धीरज कुमार पुत्र राजाराम निवासीगण कोल्हुआ लकड़ा** थाना कोतवाली खलीलाबाद**, प्रदुम्न कुमार पुत्र रामनिवास निवासी डीघा कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर,** सचिन पुत्र गुलाब निवासी कटका थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, **रुद्र राय पुत्र शम्भूनाथ राय निवासी रामनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को** माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगण का विवरण-

01- हैवेन वाडी मसाज सेन्टर मड़या चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 03 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त महबूब अली पुत्र वाहिद अंसारी निवासी वार्ड न0 03 शेरपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

02- **रोमानिया मसाज सेन्टर नेदुला चौराहा** थाना कोतवाली खलीलाबाद से 07 अभियुक्ता व 06 अभियुक्तगण नाम पता अजय पुत्र दुखन प्रसाद निवासी असरफाबाद मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद **गोलू कुमार पुत्र कोमल** थाना कोतवाली खलीलाबाद**, धीरज कुमार पुत्र राजाराम निवासीगण कोल्हुआ लकड़ा** थाना कोतवाली खलीलाबाद**, प्रदुम्न कुमार पुत्र रामनिवास निवासी डीघा कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर,** सचिन पुत्र गुलाब निवासी कटका थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, **रुद्र राय पुत्र शम्भूनाथ राय निवासी रामनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर**

पंजीकृत अभियोग– हैवेन वाडी मसाज सेन्टर मड़या चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद से मु0अ0स0 819/2024 धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956(सिट अधिनियम पुननिर्मित) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 01 अदद आधार कार्ड, 02 अदद पैन कार्ड, 04 अदद मोबाइल सेट।

***पंजीकृत अभियोग–* रोमानिया मसाज सेन्टर नेदुला चौराहा** थाना कोतवाली खलीलाबाद से मु0अ0स0 818/2024 धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956(सिट अधिनियम पुननिर्मित) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी-* 05 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन, 2495 रू0 नकद।**

पूछताछ विवरण-01 विदित हो कि मुखबीरी सूचना के आधार पर मड़या चौराहा पर स्थित हैवेन वाडी मसाज सेन्टर के बाहर एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियो में मिला जिसको रोक कर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम महबूब अली पुत्र वाहिद अंसारी निवासी वार्ड न0- 03 शेरपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर बताया तथा पूछने पर बताया कि हैवेन वाडी मसाज सेन्टर का मैनेजर हू तथा इसके मालिक मोहन नायक पुत्र केशव नायक निवासी गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर है। जो अभी यहां मौजूद नही है। उक्त व्यक्ति को लेकर मसाज सेन्टर के अन्दर जाने पर तीन महिलाये बैठी हुयी मिली। महिलाओ के सम्बन्ध में पूछा गया तो महबूब अली द्वारा बताया कि मसाज सेन्टर की आड़ में देह व्यापार किया जाता है। जिसके आधार पर मु0अ0स0 819/2024 धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956(सिट अधिनियम पुननिर्मित) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण-02 विदित हो कि मुखबीरी सूचना के आधार पर मड़या चौराहा पर स्थित **रोमानिया मसाज सेन्टर नेदुला चौराहा** 01 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियो में मिला जो नाम पता पूछा गया तो अपना नाम **अजय पुत्र दुखन प्रसाद निवासी असरफाबाद मगहर थाना कोतवाली खलीलाबार जनपद** संतकबीरनगर बताया तथा पूछने पर बताया कि **रोमानिया मसाज सेन्टर का मैनेजर हूं तथा मेरे सहयोगी मैनेजर सचिन है।** इसके मालिक **परशुराम गोड पुत्र रामऔतार गौड़ निवासी रामजानकी नगर थाना शाहपुर, दीनदयाल गौड़ पुत्र बजरंगी प्रसाद निवासी खजनी थाना खजनी, कृष्णा गौड़ पुत्र शिवप्रसाद गौड़ निवासी दारो व दिव्य प्रकाश पुत्र दिग्विजय निवासी पावर हाउस आफिसर कालोनी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर हैं**। **मालिकगण तथा उन लोगों के निर्देश पर ही मसाज सेन्टर में महिलाओं व लड़कियों को रखकर** मसाज सेन्टर की आड़ में देह व्यापार किया जाता है**।** उक्त व्यक्ति को लेकर मसाज सेन्टर के अन्दर जाने पर 07 महिलाये **04 पुरूष अलग-अलग कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में मिले**। जिसके आधार पर मु0अ0स0 818/2024 धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956(सिट अधिनियम पुननिर्मित) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

01- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, का0 आदित्य सिंह, का0 बलराम यादव, म0का0 मीनू राजभर, म0का0 प्रेमा बिन्द।

02- महिला थाना - प्रभारी निरीक्षक महिला थाना सुश्री सरोज शर्मा, म0का0 पूजा जायसवाल, म0का0 प्रिया तिवारी, म0का0 रिजवाना खातून, म0का0 नीलम चौहान।

03- एस0ओ0जी0 टीम- प्रभारी निरीक्षक एस0ओ0जी0 श्री सर्वेश राय, का0 वीर बहादुर, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 दीपक सिंह, का0 अरुण कुमार, का0 शुभम कुमार।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बेलहरकला पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रुप से अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में करीब 1.5 कुंटल लहन को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री जितेन्द्र कुमार यादव* व** क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक ***श्री विपिन यादव*** द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भेड़ौरा-पिकौरा में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 1.5 कुंटल लहन को नष्ट किया गया।

पुलिस टीम का विवरणः - थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार यादव मय हमराह पुलिसबल।

आबकारी टीम- क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक श्री विपिन यादव मय हमराह।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष महुली ***श्री हरेश तिवारी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 328/2024 धारा 85/108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता नबी अहमद पुत्र मुस्लिम निवासी केकरघट्टा उर्फ टेटार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को महुली तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषित किया गया जिससे वादी की पुत्री दिनांक 06.09.2024 को छत के कुंडी में फासी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी (मृतिका के पिता) द्वारा दिनांक 10.09.2024 को थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 26.10.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री हरेश तिवारी, हे0का0 अजीत सिंह, हे0का0 गौतम यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0स0 67/2024 धारा 429 भा0द0वि0, 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त नाम पता रेहान अहमद उर्फ मो0 आमिर पुत्र मेराज निवासी मानपुर छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को नरायनपुर पुलिया के से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रेहान अहमद उर्फ मो0 आमिर पुत्र मेराज निवासी मानपुर छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 67/2024 धारा 429 भा0द0वि0, 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम।